

क्रम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015 के अनुसार) (रु०)	दिनांक 01.07.2024 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क)	मंहगाई भत्ता 01.01.2025 से लागू (रु०) (ख)	दिनांक 01.01.2025 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क+ख)	दैनिक वेतन (रु०)
1.	अकुशल		7600.00	11001.76	255.36	11257.12	432.97
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)		7980.00 8379.00	11551.81 12129.38	268.13 281.53	11819.94 12410.91	454.61 477.34
3.	कुशल (ए) (बी)		8797.95 9237.85	12735.86 13372.67	295.61 310.39	13031.47 13683.06	501.21 526.27
4.	उच्च कुशल		9699.74	14041.30	325.91	14367.21	552.59
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम	7980.00	11551.81	268.13	11819.94	454.61
		(ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	8379.00	12129.38	281.53	12410.91	477.34
		(iii) स्नातक या ऊपर	8797.95	12735.86	295.61	13031.47	501.21
		(iv) स्टेनो टाईपिस्ट	8379.00	12129.38	281.53	12410.91	477.34
		(v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	8797.95	12735.86	295.61	13031.47	501.21
		(vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9237.85	13372.67	310.39	13683.06	526.27
		(vii) निजी सहायक	9699.74	14041.30	325.91	14367.21	552.59
		(viii) निजी सचिव	10184.73	14743.36	342.21	15085.57	580.21
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		8797.95	12735.86	295.61	13031.47	501.21
7.	चालक	हल्का वाहन	9237.85	13372.67	310.39	13683.06	526.27
		भारी वाहन	9699.74	14041.30	325.91	14367.21	552.59
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र	7980.00	11551.81	268.13	11819.94	454.61
		शस्त्र सहित	9237.85	13372.67	310.39	13683.06	526.27
9.	सुरक्षा निरीक्षक/ सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा सुपरवाइजर	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2019, जो कि Civil Appeal No. 2539 of 2010 titled as 'Hindustan Sanitaryware and Industries Limitd and others versus State of Haryana and Civil Appeal No. 4454 of 2019 titled as 'Faridabad Industries Association Versus State of Haryana and another' के निर्णय अनुसार इस श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाली अधिसूचना से निकाल दिया गया है।					
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार, जो कि CWP No. 25328 of 2015 titled as 'Gurugram Industrial Association and an3 other Versus State of Haryana के द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को अनुसूचित नियोजनों की सूची में होना अनुचित ठहराया है। अतः इस श्रेणी की न्यूनतम आय अधिसूचित नहीं की जा रही है। परन्तु विभिन्न नियोजनों में कार्यरत सफाई कर्मचारी दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना जारी होने से पहले की भांति न्यूनतम वेतन पाने की हकदार रहेंगे।					

नोट:- कम संख्या 10 के कर्मचारियों से पूर्व में दिये गये वेतन से कोई वसूली नहीं की जायेगी।

लगातार.....

*Londel*